

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, म0प्र0 शासन
पॉचवीं मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल

क्रमांक 280 /आउशि/शा-7/अनु0/08-09/आयोजनेत्तर
प्रति,

भांपाल, दिनांक 16 / 11 / 2008

संबंधित प्राचार्य/शिक्षाधिकारी,
शासकीय..... महाविद्यालय (अग्रणी),
..... मध्यप्रदेश

विषय:- अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को ब्लाक ग्रांट वर्ष 2008-09 के लिये आवंटन देने बावत् ।
.....000.....

उपरोक्त विषय में इस कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 में माह अक्टूबर, 08 से मार्च- 09 तक वेतन भत्तों एवं डी.ए./ए.डी.ए./एच.आर.ए./आई.आर./ के भुगतान हेतु आयोजनेत्तर मद में संलग्न सूची के अनुसार महाविद्यालयों को राशि रूपये 1,05,88,000/- (रूपये एक करोड़, पांच लाख, अठासी हजार मात्र) आवंटन प्रदान किया जाता है। इस आवंटित राशि, दिनांक 31.3.2008 को संस्थागत निधि में उपलब्ध अनुदान की शेष राशि एवं वित्तीय वर्ष 2008-09 में पूर्व में आवंटित राशि को मिलाकर देय वेतन आदि तथा पूर्व के बकाया डी.ए./ए.डी.ए./एच.आर.ए./आई.आर./का नियमानुसार परीक्षण कर भुगमान करें। आयोजना मद का विलय आयोजनेत्तर मद में कर दिया गया है। शासन द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार ही आयोजना मद के पदों का व्यय आयोजनेत्तर मद से पूर्वानुसार ही किया जाए।

2. आवंटित /स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या-44-उच्च शिक्षा-2202-सामान्य शिक्षा (03 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (104) गैर सरकारी कालेज और संस्थाएं (3444) महाविद्यालयों को पोषण अनुदान 42/007 आर्थिक सहायता/सहायक अनुदान आयोजनेत्तर मद वर्ष 2008-09 के अंतर्गत विकलनीय होगा।
3. उक्त आवंटन निम्न शर्तों पर जारी किया जाता है:-

(1) संलग्न सूची के अनुसार महाविद्यालय के समक्ष जारी आवंटन/स्वीकृत की राशि का विमोचन तभी किया जाए जबकि संस्था द्वारा पूर्व में जारी किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्राप्त किया गया हो। आपके द्वारा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को अग्रेषित करें। इस आवंटित राशि से भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि भुगतान की गई राशि की संबंधित को पात्रता है और भुगतान न करने पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन हो रहा है एवं अवमानना नहीं हो रही है।

(2) आवंटित राशि से केवल अनुदान हेतु स्वीकृत एवं मान्य पदों पर शासन द्वारा अनुमोदित नियुक्तियों पर कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को अनुमोदित मदों में 50 प्रतिशत राशि का ही आहरण


निरन्तर...

किया जाये । गैर अनुदान प्राप्त पदों पर कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को यदि भुगतान हुआ तो उसकी वसूली संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं शिक्षाधिकारियों से की जायेगी ।


- (3) स्थानीय निधि संपरीक्षा म0प्र0 से वर्ष 2007-08 तक का आडिट होना सुनिश्चित करें एवं पूर्व वर्षों सहित आडिट आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण होना सुनिश्चित किया जाये तथा मांग पत्र में इसका स्पष्ट प्रमाण पत्र अंकित करें कि आडिट संबंधी कोई कंडिका लंबित नहीं है ।
- (4) महाविद्यालयों द्वारा छात्रों से वसूल की जा रही फीस की राशि नियमानुसार संस्थागत निधि में जमा होना सुनिश्चित किया जाये ।
- (5) उक्त आवंटित राशि से संबंधित लेखे महालेखाकार /वित्त विभाग /स्थानीय निधि संपरीक्षा /उच्चशिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिये इनके विवेकानुसार जाँच हेतु खुले रहेंगे ।
- (6) वर्ष 1996 के पूर्व के डी.ए./ए.डी.ए./एच.आर.ए./आई.आर. की राशि का भुगतान उन्ही वादियों /कार्मिकों को किया जाये जिनकी राशि एवं स्वीकृति शासन/आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा प्रदान कर दी गई है ।
- (7) वर्ष 1996 के बाद तदर्थ महंगाई भत्ते की राशि के भुगतान के पूर्व परीक्षण कर ले कि की दोहरा भुगतान तो नहीं हो रहा है । परीक्षण कर के ही पात्रता होने पर भुगतान करें ।
- (8) दिनांक 31.3.08 को संस्थागत निधि में अनुदान की शेष राशि वित्तीय वर्ष 2008-09 में तथा इस आदेश द्वारा जारी आवंटित राशि को मिलकर भुगतान करें । संस्थागत निधि में अनुदान की राशि शेष रहने तक अनुदान की मांग नहीं करें ।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा स्वीकृत)

पृ0कमांक 281 /आउशि/शा-7/अनु0/08-09/आयोजनेत्तर
प्रतिलिपि:-


संयुक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
भापील, दिनांक 16/11/2008

- 1 संबंधित महाविद्यालय अधिकारी/उपकोषालय अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
- 2- संबंधित प्राचार्य,.....महाविद्यालय,.....म0प्र0 की ओर भेज कर सूचित किया जाता है कि उक्त राशि का आवंटन अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों को मासिक वेतन-भत्तों की प्रतिपूर्ति के लिए प्रदाय किया जा रहा है ।
- 3- संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म0प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।


संयुक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश